परिशिष्ट – क I

हल्दी रोड–रूद्रपुर सिटी स्टेशनों के मध्य स्थित इन्जी. समपार फाटक सं. 104 श्रेणी 'ए' के संचालन हेतु कार्य अनुदेश

1. विवरण

1.1 सामान्य –

(1) समपार फाटक की संख्या : **104** श्रेणी : **ए**

(2) इंजीनियरिंग/यातायात फाटक : **इन्जीनियरिंग**

(3) अधीन स्टेशन अधी0/रेल पथ निरिक्षक : **से.ई. (रेलपथ)/रूद्रपुर सिटी**

(4) किलोमीटर पर स्थित : **53/7–8**

(5) स्टेशन **हल्दी रोड**

(6) स्टेशन मध्य : **हल्दी रोड एवं रूद्रपुर सिटी**

(7) बी0जी0/एम0जी0/एन0जी0 : **बी.जी.**

(8) इकहरी/दोहरी/मिश्रित : **इकहरी**

(9) सामान्य स्थिति : **सड़क यातायात के लिए खुला**

(10) इण्टरलाक्ड/नानइण्टरलाक्ड : **इंटरलॉक्ड**

(11) इण्टरलाकिंग का प्रकार : **गेट सिगनल**

(12) गेट सिगनलों का प्रावधान किलोमीटर

(i) डाउन लाइन : **53/11–12**

(ii) अप लाइन : **53/4–5**

(13) संकेतन व्यवस्था : **कलर लाइट सिगनल**

(14) संचार साधन टेलिफोन/घंटी : **मैगनेटो टेलीफोन स्टे.मा./हल्दी रोड से सम्बद्ध**

(15) समपार फाटक की चौड़ाई : **उत्तर 8.25 मीटर/दक्षिण 8.74 मीटर**

(16) सड़क का प्रकार (एन0एच0/एस0एच0/अन्य) : **एन एच**

(17) सड़क का नाम : **रूद्रपुर सिटी हल्द्वानी रोड**

(एस0 एस0 द्विवेदी)	(अजय कुमार)	(जे0 पी0 शर्मा)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक	वरिष्ठ मण्डल इन्जीनियर I	मण्डल सिग.एवं दूरसंचार इंजीनियर
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर	पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर	पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर
दिनॉक	दिनॉक	दिनॉक

(18) पक्का/कच्चा :	**पक्का**
(19) पहुँच मार्ग :	**———**
(20) सड़क की चौड़ाई :	**उत्तर 7.00 मीटर/दक्षिण 6.20 मीटर**
(21) सड़क का क्रासिंग कोण (इस्क्यू गेट के लिए) :	**60^0**
(22) सड़क का ढ़ाल यदि कोई हो	
(i) उत्तर से पूर्व की तरफ :	**1 : 50**
(ii) दक्षिण से पश्चिम की तरफ :	**1 : 40**
(23) सड़क का प्रकार (सीधा/गोलाई)	
(i) उत्तर से पूर्व की तरफ :	**सीधा**
(ii) दक्षिण से पश्चिम की तरफ :	**30.0 मीटर**
(24) 'हाइट गेज का प्राविधान' :	**नहीं**
(25) बैरियर का प्रकार :	**लिफ्टिगं बैरियर**
(26) चेक रेल की लम्बाई :	**16.04 मीटर**
(27) समपार के मध्य सड़क का सतह :	**ए.एस.पी.**
(28) रम्बल स्ट्रिप/गति अवरोधक की लम्बाई :	**उत्तर 7.00 मीटर/दक्षिण 6.20 मीटर**
(29) रोड साइन :	**उपलब्ध**
(30) गति अवरोधक बोर्ड :	**उपलब्ध**
(31) टी0वी0यू0 :	**68021 अक्टूबर 2007**
(32) अगली गणना की तिथि :	**2010**
(33) पटाखा सिगनल लगाने का निर्दिष्ट स्थान :	**है**
(34) गेटमैनो की संरव्या :	**दो**
(35) निकटतम रेलवे चिकित्सा सहायता केन्द्र :	**लालकुऑ**
(36) निकटतम निजी चिकित्सा सहायता की उपलब्धता यदि कोई हो :	**रूद्रपुर, हल्द्वानी**

(एस0 एस0 द्विवेदी)	(अजय कुमार)	(जे0 पी0 शर्मा)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक	वरिष्ठ मण्डल इन्जीनियर I	मण्डल सिग.एवं दूरसंचार इंजीनियर
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर	पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर	पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर
दिनॉक	दिनॉक	दिनॉक

(37) उपलब्ध उपकरणों की सूची हॉ/नही : **हॉ**

1.2 <u>उपकरण –</u>

(1)	हाथ सिगनल बत्ती (तिरंगी)	03
(2)	हरी हाथ झंडी	01
(3)	लाल हाथ झंडी	03
(4)	बैनर फ्लैग लाल	03
(5)	लाल बैनर फ्लैग लगाने हेतु पोस्ट	02
(6)	तालों के साथ अतिरिक्त चेन (जंजीर)	02 (स्टाप डिस्क के साथ)
(7)	पटाखा सिगनल	10
(8)	फ्यूजी	01
(9)	गेट लैम्प	02
(10)	टोमीवार	01
(11)	मोर्टार पैन (तसला)	01
(12)	फावड़ा/बेल्चा	01
(13)	दुर्मुठ	01
(14)	पिक एक्स	01
(15)	टिन केस झंडी के लिए	01
(16)	कैन मिटटी के तेल हेतु	01
(17)	बाल्टी/पानी पीने का बर्तन	01
(18)	टिन केस मस्टर शीट के लिए	01
(19)	चश्मों का अतिरिक्त सेट जो चश्मा लगाते है (दृष्टि वाला)	01
(20)	गेट पर अवरोध की दशा में समपार की संरक्षा हेतु प्रदर्शित डायग्राम	01
(21)	टोकरी	01
(22)	सीटी (Thunder Whistle)	01
(23)	दीवार घड़ी	01
(24)	छोटी चेन व ताले (बूम लॉकिंग हेतु)	02

(एस0 एस0 द्विवेदी)	(अजय कुमार)	(जे0 पी0 शर्मा)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक	वरिष्ठ मण्डल इन्जीनियर I	मण्डल सिग.एवं दूरसंचार इंजीनियर
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर	पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर	पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर
दिनॉक	दिनॉक	दिनॉक

1.3 गेट लाज पर रखे जाने वाले अभिलेख

(1) गेट का कार्यकारी अनुदेश हिन्दी में।
(2) गेटमैन नियम पुस्तिका हिन्दी भाषा में।
(3) पुस्तकों एवं उपकरणों की सूची।
(4) डियूटी रोस्टर।
(5) गेटमैन का कार्य करने का प्रमाण पत्र।
(6) गेटमैन का वायोडाटा, नेत्र जांच, प्रारंभिक पुनश्चर्या, संरक्षा कैम्प इत्यादि।
(7) दुर्घटना रजिस्टर।
(8) समपार फाटक पर अंतिम गणना का अभिलेख।
(9) निरीक्षण पुस्तिका।
(10) संकेत एवं दूर संचार पंजिका (इंटरलॉक्ड इंजीनियरिंग गेट हेतु)।
(11) जन प्रतिवेदन पुस्तिका

1.4. गेटमैन के कर्त्तव्य :

(1) सावधानी

गेट मैन सदैव किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिये की जाने वाली त्वरित कार्यवाही के प्रति सावधान रहेगा।

(2) ट्रेन के समपार फाटक से गुजरते समय फाटक वाले की स्थिति

ट्रेन के गुजरने की स्थिति में गेट मैन बतायी गयी निम्नलिखित स्थिति में खड़ा रहेगा।
(i) गेट मैन सतर्कता पूर्वक गेटलाज के सामने आती हुयी ट्रेन के तरफ मुँह करके खड़ा रहेगा।
(ii) दिन में गेट मैन दॉये हाथ में लाल झण्डी तथा बायें हाथ में हरी झण्डी डण्डे में लगाी हुई मोड़कर लिये खड़ा रहेगा।
(iii) रात्रि समय में गेट मैन जलती हुयी सफेद हाथ बत्ती लाइन के तरफ दिखाता हुआ खड़ा रहेगा।
(iv) गेट मैन गले में धागे में बांधकर सीटी लटकाये रहेगा।

(3) गेट मैन की नियमित ड्यूटी

(i) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि गेट लैम्प को सूर्यास्त से सूर्योदय तक लगातार जलते हुए स्थिति में रखे।
(ii) गेट मैन अपनी ड्यूटी निश्चित रूप से ड्यूटी रोस्टर के अनुसार करेगा और जब तक कार्यमुक्त करने हेतु साथी आ न जाये और वह गेट का कार्यभार ग्रहण न कर ले, तब तक गेट मैन गेट छोड़कर नहीं जायेगा। गेट मैन को यदि आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक से हटना अपरिहार्य हो तो वह गेट छोड़ने से पूर्व गेट को सड़क यातायात के लिए बंद करके ताला लगायेगा।
(iii) इन निर्देशों के अतिरिक्त गेट मैन गुजरती हुयी ट्रेन को देखता रहेगा और ट्रेन की संरक्षा हेतु कार्य करने के लिए तत्पर रहेगा।

(एस0 एस0 द्विवेदी)	(अजय कुमार)	(जे0 पी0 शर्मा)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक	वरिष्ठ मण्डल इन्जीनियर I	मण्डल सिग.एवं दूरसंचार इंजीनियर
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर	पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर	पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर
दिनॉक	दिनॉक	दिनॉक

(iv) गेट मैन गुजरती हुयी सभी ट्रेनों पर पैनी नजर रखेगा जिससे किसी अप्रत्याशित घटना जैसे- हॉट एक्सल (गर्म धुरा), लटकती हुई चैन, लटकती हुई बैट्री, किसी वाहन/वैगन/ट्रेन/बैट्री बाक्स में आग लगी हो, ब्रेक ब्लाक, ब्रेक बीम, सेफ्टी ब्रेकेट, वैक्यूम सिलेन्डर आदि का लटकना, गिरना जिसके कारण ट्रेन की संरक्षा बाधित हो का पता लगाकर आवश्यक कार्यवाही करेगा।

(v) गेट मैन गार्ड द्वारा ड्राइवर को झण्डी/बत्ती या अथवा किसी अन्य माध्यम से दिये गये संकेतों को दोहराने के लिए तैयार रहेगा।

(vi) समपार फाटक का लिफटिंग बैरियर क्षतिग्रस्त अथवा खराब होने की दशा में गेट मैन अतिरिक्त चैन डिस्क एवं तालों का प्रयोग कर सड़क यातायात बंद करेगा।

(vii) गेट मैन अपने गेट की किसी भी खराबी के लिए यथाशीघ्र स्टेशन मास्टर/हल्दी रोड, गैंग मेट अथवा रेल पथ निरीक्षक को सूचित करेगा।

(viii) गेट सिगनल चाभी खराब हो जाने की दशा में गेटमैन गेट सिगनल को 'आन' स्थिति में आवश्यकतानुसार सिगनल अथवा तार को पृथक करके रखेगा।

(ix) समपार फाटक के गेट सिगनल खराब हो जाने की दशा में गेट मैन ट्रेन देखकर लिफटिंग बैरियर को बन्द कर ताला लगा देगा और हाथ सिगनल देगा या ऐसी स्थिति में वह गाड़ी के चालक द्वारा खराबी की सूचना अगले स्टेशन पर भेजेगा।

(x) जब गेट मैन अपने कार्य पर रहेगा तो वह निर्धारित वर्दी एवं बैज धारण करेगा।

(xi) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि डियूटी के समय उसके पास दक्षता प्रमाण पत्र उपलब्ध है।

(xii) गेटमैन, गेट संचालन नियमों के अनुरूप कार्य करेगा तथा नियमों के बारे में पूर्णरूपेण जानकारी रखेगा।

(xiii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि उसके गेट पर आपूर्ति किये गये सभी उपकरण अच्छी स्थिति में है एवं तत्काल प्रयोग हेतु तैयार है।

(xiv) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि समपार पर चैक रेल गैप साफ है।

(xv) गेट मैन समपार फाटक की सड़क को (कच्ची सड़क) पानी छिड़ककर एवं दुरमुट से ठोककर ठीक रखेगा।

(xvi) गेट मैन सड़क प्रयोगकर्त्ताओं की, गेट को बंद रखने की स्थिति से उत्पन्न असुविधाओं के प्रति सतर्क रहेगा।

(xvii) जहां तक संभव हो गेट मैन मनुष्यों, वाहनों अथवा जानवरों के अवैध आवागमन पर रोक लगायेगा।

(4) <u>ट्रेन की असामान्य स्थिति में किया जाने वाला कार्य</u>

यदि गेटमैन किसी पास हो रही गाड़ी में कोई असामान्य बात देखता है तो वह निम्न कार्य करेगा ।

(i) वह तत्काल ही ड्राइवर/गार्ड को दिन में लाल झण्डी तथा रात में लाल बत्ती दिखाकर सचेत करेगा ।

(ii) साथ ही साथ ड्राइवर/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए लगातार सीटी बजायेगा, चिल्लायेगा, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करेगा तथा ब्रेकवान पर पत्थर फेकेगा अथवा कोई अन्य साधन अपनायेगा।

(iii) यदि ड्राइवर/गार्ड उपरोक्त कार्यों के उपरांत भी ध्यान नहीं देते हैं तो वह स्टेशन मास्टर/हल्दी रोड को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुए तो तद्नुसार कार्यवाही करने हेतु सूचित करेगा।

(एस0 एस0 द्विवेदी)	(अजय कुमार)	(जे0 पी0 शर्मा)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक	वरिष्ठ मण्डल इन्जीनियर I	मण्डल सिग.एवं दूरसंचार इंजीनियर
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर	पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर	पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर
दिनॉक	दिनॉक	दिनॉक

(iv) किसी ट्रेन के विभक्त (पार्टिंग) हो जाने की दशा में गेट मैन रोक हैण्ड सिगनल (लाल) नहीं दिखायेगा बल्कि वह दिन में हरी झन्डी तथा रात में सफेद बत्ती ऊपर-नीचे करके निर्धारित संकेत करेगा।

(v) वह ड्राइवर/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास लगातार सीटी बजाकर, चिल्लाकर, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाकर तुरन्त दोनों हाथों को अलग करके पुनः दोनों हाथों को सटाते हुए पुनः हाथों को बिल्कुल नीचे करते हुए करेगा।

(vi) गेटमैन तुरन्त टेलीफोन पर स्टेशन मास्टर/हल्दी रोड को उचित कार्यवाही करने हेतु गोपनीय संख्या के आदान-प्रदान के अन्तर्गत इसकी सूचना देगा।

(5) **आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही**

(i) समपार फाटक पर कोई अवरोध आ जाने पर वह लाइन पर दोनों तरफ दिन में बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती निर्धारित स्थान पर लगायेगा।

(ii) इसके उपरान्त यदि गेट मैन अवरोध हटाने में सक्षम नहीं है तो वह स्टेशन मास्टर/हल्दी रोड को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुए गेट की खराबी/अवरोध के बारे में तत्काल सूचित करेगा।

(iii) यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी स्टेशन मास्टर/हल्दी रोड कोई प्रत्युत्तर नहीं देते है तो गेट मैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के बाद पुनः टेलीफोन से सूचित करेगा।

1.5 गेट मैन गेट की संरक्षा (बचाव) निम्नलिखित अनुसार करेगा

(अ) इकहरी लाइन पर

(i) गेट मैन दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती 5 मीटर दूर निर्धारित स्थान पर सर्वप्रथम उस तरफ लगा देगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना है।

(ii) इसके पश्चात उसी तरह दिन में दूसरा लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती लाइन की दूसरी ओर अवरोध से 5 मीटर की दूरी पर लगायेगा।

(iii) गेट मैन तब पटाखे, फ्यूजी और दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती लेकर गेट को संरक्षित करने के लिये आगे बढ़ेगा।

(iv) गेट मैन दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल बत्ती दिखाते हुये पहले लाइन पर उस दिशा में बढ़ेगा जिधर से ट्रेन के आने की सम्भावना है तब 600 मीटर पर एक पटाखा लगा देगा उसके पश्चात वह समपार से 1200 मीटर की दूरी पर तीन पटाखे 10-10 मीटर की दूरी पर लगायेगा। इस प्रकार लाइन को संरक्षित करने के उपरान्त वह समपार पर लौटते हुये पूर्व में 600 मीटर पर लगाये गये पटाखा उठा लेगा।

(v) इसके बाद वह लाल झण्डी दिखाते हुये उसी प्रकार जेसा क्रमांक (iv) में वर्णित है लाइन की दूसरी तरफ पटाखा लगायेगा तथा समपार की तरफ लौटते हुये बीच का पटाखा उठा लेगा।

(vi) समपार गेट पर लौटने के पश्चात गेट मैन अवरोध को हटाने तथा आने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सचेत करने का प्रयास करेगा।

(vii) उन परिस्थितियों में जब गेट मैन रास्ते में ही है और निर्दिष्ट स्थानों पर जहाँ पटाखे लगाये जाते हैं, पहुँचने के पूर्व ही वह ट्रेन को आते देखता है अथवा ट्रेन की आवाज सुनाई पड़ती है तो वह जहाँ तक पहुँच सकता है उसी स्थान पर पटाखा लगा देगा।

(एस0 एस0 द्विवेदी)	(अजय कुमार)	(जे0 पी0 शर्मा)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक	वरिष्ठ मण्डल इन्जीनियर I	मण्डल सिग.एवं दूरसंचार इंजीनियर
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर	पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर	पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर
दिनॉक	दिनॉक	दिनॉक

(viii)उसके उपरान्त गेट मैन फ्यूजी जलाकर लगा देगा जिससे ड्राइवर सचेत हो जाय तथा आने वाली ट्रेन को गेट मैन दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती दिखाकर रोकेगा।

(ब) गेट मैन द्वारा किये जाने वाली अन्य कार्यवाही

(i) यदि समपार गेट किसी वाहन द्वारा तोड़ दिया जाता है और वाहन ट्रैक को बाधित कर रहा है, या गेट का अन्य कोई भाग ट्रैक को बाधित कर रहा है या गेट पर अन्य कोई अवरोध है तो गेट मैन तुरन्त कार्यवाही करेगा।

(ii) गेट मैन सड़क यातायात का विवरण लिखेगा जैसे- वाहन संख्या, ड्राइवर का नाम, मालिक का नाम और गेट मैन स्टेशन मास्टर/हल्दी रोड अथवा रेल पथ निरीक्षक को किसी संदेशवाहक या अन्य उपलब्ध संसाधनों के द्वारा सूचित करेगा।

2. समपार फाटक के संचालन हेतु विशेष अनुदेश –

2.1 संचालन पद्धति :–

टिप्पणी – इन अनुदेशों को संलग्न वमसिदूई नियम आरेख सं. वमसिदूई 462 दिनॉक 28.01.04 के साथ पढा जाना चाहिए।

समपार फाटक को सड़क यातायात के विरूद्ध बन्द करने के लिए कार्यरत गेटमैन विंच को तब तक संचालित करेगा जब तक कि बैरियर नीचे आकर समतल स्थिति में बूम पोस्ट पर स्थिर न हो जायें। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर के बीच में कोई सड़क वाहन न फॅस जाए। विंच को इस स्थिति में लॉक (Lock) करने के लिए 'ई' प्रकार के लॉक (Lock) से चाबी 'आर' को निकाल लेगा तथा लीवर सं. 1 में लगे 'ई' प्रकार के लॅाक में चाबी 'आर' को लगाकर रिवर्स करेगा, यह गेट सिगनलों के लीवर को मुक्त करेगा तथा बूम को फाटक बन्द स्थिति में लॉक करेगा और गेटमैन गेट सिगनलों को 'ऑफ' करने के लिए सम्बन्धित लीवरों को खींचेगा। गेट सिगनलों के लीवरों को रिवर्स करने के बाद गेटमैन, दिन के समय दाहिने हाथ में लिपटी हुई हत्थेदार लाल झण्डी एवं बायें हाथ में हरी झण्डी तथा रात के समय सफेद प्रकाश वाला हैंड सिगनल लैम्प ट्रैक की तरफ दिखाता हुआ गेट लाज के पास खड़ा होकर गाड़ी के समपार फाटक से सुरक्षित गुजरने का प्रेक्षण करेगा।

फाटक की सुरक्षा के लिए अप तथा डाउन कलर लाइट गेट सिगनलों की व्यवस्था है। सिगनलों के परिचालन तथा फोर बूम लाकिंग हेतु 3 लीवर का ग्राउन्ड फ्रेम लगा है जो इस प्रकार हैः–

लीवर संख्या	विवरण	किसके द्वारा मुक्त होते हैं (Released By)	लॉक्ड (Lock)
1	बूम लॉकिंग लीवर	चाबी 'आर'	–––
2	डाउन गेट सिगनल	लीवर सं. 1	लीवर सं. 3
3	अप गेट सिगनल	लीवर सं. 1	लीवर सं 2

गाड़ी के पूरी तरह गुजर जाने के बाद गेटमैन समपार फाटक को सड़क यातायात के लिए खोलने के लिए सिगनल लीवरों को नार्मल करेगा जिससे लीवर नं. 1 मुक्त होगा, जिसे नार्मल करने के बाद 'ई' प्रकार के लॉक में लगी चाबी 'आर' को निकाल लेगा। चाबी 'आर' को विन्च में लगे 'ई' प्रकार

के लॉक में लगाकर घुमाएगा तथा विन्च को संचालित करेगा जब तक कि लिफ्टिंग बैरियर ठीक उपर लम्बवत उठ न जाय।

गाडी के सम्भावित आगमन और प्रस्थान से पहले 10 मिनट से अधिक समय तक फाटक को बन्द नहीं नखना चाहिए। किसी भी मामले में समपार फाटक लगातार 12 मिनट से अधिक समय तक बन्द नहीं रखना चाहिए।

2.2 गेटमैन को सूचित करना :–

1. कार्यरत स्टेशन मास्टर/हल्दी रोड, रूद्रपुर सिटी स्टेशन को/से किसी गाड़ी का लाइन क्लीयर देने/लेने से पहले गेटमैन को टेलीफोन द्वारा गाड़ी संख्या, दिशा तथा समपार पर पास करने का संभवित समय, को समय से सूचित करेगा।
   गेटमैन / स्टेमा इन सूचनाओं की प्रविष्टि अपनी लॉग–बुक में निम्न प्रकार करेगा –

दिनॉक	गाड़ी सं.	स्टेशन मास्टर द्वारा सूचित करने का समय/गेटमैन को सूचना मिलने का समय	समपार से गाड़ी के गुजरने का सम्भावित समय	गेटमैन द्वारा गेट बन्द करने का समय	समपार से गाड़ी के गुजरने का वास्तविक समय	गेटमैन/स्टेमा. का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7

2. गेटमैन का यह दायित्व है कि वह समय से समपार फाटक बन्द करे जिससे गाड़ियो का विलम्बन न हो तथा सड़क यातायात अधिक समय तक विलम्बित न हो।

2.3 टेलीफोन संचार की विफलता :–

1. जब टेलीफोन संचार विफल हो जाय अथवा दो या तीन प्रयास के बाद भी गेटमैन के तरफ से कोई प्रत्युत्तर न प्राप्त हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर/हल्दी रोड गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
2. यदि गेट सिगनल 'आन' हैं तो ड्राइवर गेट सिगनल के पहले गाड़ी रोक कर सामान्य नियम 3.73 के अनुसार कार्यवाही करेगा।
3. जब गाड़ी रूद्रपुर सिटी के तरफ से आने वाली है तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/हल्दी रोड कार्यरत स्टेशन मास्टर/रूद्रपुर सिटी को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि टेलीफोन रवराब है तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/रूद्रपुर सिटी गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
4. कार्यरत स्टेशन मास्टर/हल्दी रोड गेटमैन को भी गैंग मैन/पेट्रोल मैन/प्रथम गाड़ी के ड्राइवर द्वारा टेलीफोन रवराब होने की सूचना देगा।
5. कार्यरत स्टेशन मास्टर/हल्दी रोड संकेत एवं दूरसंचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है अति शीध्र टेलीफोन ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
6. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब संकेत एवं दूरसंचार विभाग टेलीफोन ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

(एस0 एस0 द्विवेदी)	(अजय कुमार)	(जे0 पी0 शर्मा)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक	वरिष्ठ मण्डल इन्जीनियर I	मण्डल सिग.एवं दूरसंचार इंजीनियर
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर	पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर	पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर
दिनॉक	दिनॉक	दिनॉक

2.4 लिफ्टिंग बैरियर या बूम लॉकिंग की विफलता :–

1. जब लिफ्टिंग बैरियर रवराब हो जाने के कारण गेट बन्द न किया जा सके तो गेटमैन तुरन्त प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करके कार्य पर उपस्थित स्टेशन मास्टर/हल्दी रोड को सूचित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर रेल पथ को बाधित नही कर रहा हैं।
2. बूम लॉकिंग विफल होने पर इस सम्बन्ध में प्रदत्त छोटी चेन को प्रत्येक बूम पर बूम पोस्ट से बांध कर बूम को लॉक करेगा।
3. गेटमैन तुरन्त दिन में लाल बैनर फलैग एवं रात्रि में लाल बत्ती समपार पर निर्दिष्ट स्थान पर सर्वप्रथम उस तरफ लगायेगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना हो तदपरान्त समपार के दूसरी तरफ लगायेगा।
4. गेटमैन समपार को सड़क यातायात से रोकने के लिए सुरक्षा चेन और तालों द्वारा बन्द करेगा।
5. सड़क यातायात को सुरक्षित करने के उपरान्त गेटमैन दिन के समय हत्थेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती आती हुयी गाड़ी के ड्राइवर को दिरवायेगा।
6. कार्यरत स्टेशन मास्टर/हल्दी रोड गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
7. जब गाड़ी रूद्रपुर सिटी के तरफ से आने वाली है तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/हल्दी रोड कार्यरत स्टेशन मास्टर/रूद्रपुर सिटी को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर रवराब है तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/रूद्रपुर सिटी गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
8. ड्राइवर गेट सिगनल के पहले गाड़ी रोक कर सामान्य नियम 3.73 के अनुसार कार्यवाही करेगा तथा गेटमैन के सिगनल को देरवते हुए आगे बढ़ेगा।
9. कार्यरत स्टेशन मास्टर/हल्दी रोड संकेत एवं दूरसंचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है अति शीध्र जब लिफ्टिंग बैरियर ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
10. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब संकेत एवं दूरसंचार विभाग जब लिफ्टिंग बैरियर ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

2.5 गेट की 'चाभी' गेट के बन्द स्थिति में विफल हो जाना जब 'चाभी' गेट को रवोलने के लिए निकाली न जा सके :–

1. जब गेट चाभी विन्च से या गेट सिगनल लीवर से बाहर नही निकाला जा सकता तब गेटमैऩ तुरन्त कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर के आदान प्रदान के अन्तर्गत टेलीफोन पर सूचित करेगा।
2. इस परिस्थिति में गेट को नॉन इंटरलॉक गेट समझना चाहिए और उसी के अनुसार कार्यवाही करनी चाहिए।
3. कार्यरत स्टेशन मास्टर/ हल्दी रोड को सतर्कता आदेश गेट की तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ी के लिए जारी करना चाहिए।
4. कार्यरत स्टेशन मास्टर/हल्दी रोड कार्यरत स्टेशन मास्टर/रूद्रपुर सिटी को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर रवराब है तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/रूद्रपुर सिटी गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।

(एस0 एस0 द्विवेदी)	(अजय कुमार)	(जे0 पी0 शर्मा)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक	वरिष्ठ मण्डल इन्जीनियर I	मण्डल सिग.एवं दूरसंचार इंजीनियर
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर	पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर	पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर
दिनॉक	दिनॉक	दिनॉक

5. कार्यरत स्टेशन मास्टर जिम्मेदार एस. एण्ड टी. स्टाफ को रवराब यन्त्र के शीघ्र मरम्मत के लिए लिखित सूचना।
6. सामान्य स्थिति केवल एस. एण्ड टी. स्टाफ के मरम्मत के बाद रिक्नेक्शन/फिट मेमो देने के बाद ही होगी।

2.6 'गेट चाभी' का गेट के रवुली दशा में विफल हो जाना :–

1. जब गेट चाभी विन्च से या गेट सिगनल लीवर से बाहर नही निकाला जा सकता तब गेटमैऩ तुरन्त कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर के आदान प्रदान के अन्तर्गत टेलीफोन पर सूचित करेगा।
2. इस परिस्थिति में गेट को नॉन इंटरलॉक गेट समझना चाहिए और उसी के अनुसार कार्यवाही करनी चाहिए।
3. कार्यरत स्टेशन मास्टर/हल्दी रोड सतर्कता आदेश गेट की तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ी के लिए जारी करना चाहिए।
4. कार्यरत स्टेशन मास्टर/हल्दी रोड कार्यरत स्टेशन मास्टर/रूद्रपुर सिटी को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि गेट चाभी गेट के रवुली दशा रवराब है तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/रूद्रपुर सिटी गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
5. गेटमैन चेन एवं तालों द्वारा गेट को बन्द कर देगा तथा गाड़ियो को हाथ संकेत द्वारा पास करेगा।
6. कार्यरत स्टेशन मास्टर जिम्मेदार एस. एण्ड टी. स्टाफ को रवराब यन्त्र के शीघ्र मरम्मत के लिए लिखित सूचना देगा।
7. सामान्य स्थिति केवल एस. एण्ड टी. स्टाफ के मरम्मत के बाद रिक्नेक्शन/फिट मेमो देने के बाद ही होगी।

2.7 गेट सिगनल की विफलता :–

1. गेटमैन निम्न लिरिवत स्थितियों में गेट सिगनल को रवराब मानेगा और गेट सिगनल को ऑफ नही करेगा।

(अ) यदि गेट सिगनल बिना गेट को बन्द किये हुये 'आफ' किया जा सके या

(ब) यदि 'चाभी' को विन्च से गेट की रवुली स्थिति में निकाली जा सके।

2. यदि गेट या गेट सिगनल 'आफ' की स्थिति में रवराब हो जाय तो गेटमैन इन्हे 'आन' स्थिति में लाने का प्रयास करेगा। यदि आवश्यक हुआ तो सिगनल के तार को काटा जा सकता है।
3. गेटमैऩ अविलम्ब कार्यरत स्टेशन मास्टर/हल्दी रोड को प्राइवेट नम्बर के आदान प्रदान के अन्तर्गत टेलीफोन पर सूचित करेगा।
4. उसके बाद गेट को नॉन इंटरलॉक गेट मान लिया जायेगा तथा नॉन इंटरलॉक गेटों के लिये निर्धारित पद्धति के अनुसार आगमन/प्रस्थान किया जायेगा।
5. गेटमैन दिन के समय हत्थेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती गेट को बन्द करने के बाद गुजरती हुयी गाड़ीयो को दिरवायेगा।
6. कार्यरत स्टेशन मास्टर/हल्दी रोड को सतर्कता आदेश गेट की तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ी के लिए जारी करना चाहिए।
7. कार्यरत स्टेशन मास्टर/हल्दी रोड कार्यरत स्टेशन मास्टर/रूद्रपुर सिटी को प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि गेट सिगनल रवराब है तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/रूद्रपुर

सिटी गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।

8. कार्यरत स्टेशन मास्टर जिम्मेदार एस. एण्ड टी. स्टाफ को रवराब यन्त्र के शीध्र मरम्मत के लिए लिखित सूचना देगा।
9. सामान्य स्थिति केवल एस. एण्ड टी. स्टाफ के मरम्मत के बाद रिक्नेक्शन/फिट मेमो देने के बाद ही होगी।

2.8 समपार फाटक पर अवरोध :–

1. यदि काई सड़क वाहन समपार फाटक को तोड़कर रेल पथ को बाधित कर रहा है या लिफ्टिगं बैरियर या गेट का कोई अन्य भाग रेल पथ को बाधित कर रहा है या यदि अन्य कोई बाधा गेट पर है तो तुरन्त गेट सिगनल को 'आन' स्थिति में कर देगा।
2. समपार के दोनो तरफ आवश्यकता हेतु लगाये गये पोस्टों पर दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती लगायेगा।
3. इसके तुरन्त बाद ही गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर/हल्दी रोड को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए अवरोध के बारे में सूचित करेगा।
4. यदि दो तीन प्रयासो के बाद भी कार्यरत स्टेशन मास्टर/हल्दी रोड के द्वारा कोई प्रत्युतर नही प्राप्त होता हैं तो गेटमैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के उपरान्त टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।
5. गेटमैन पटाखा फ्यूजी तथा दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल बत्ती लेकर तेजी से जिस तरफ गाड़ी का आगमन संभावित हैं, की तरफ रेल पथ को 'गेट मैनो' की कार्य प्रणाली सामान्य निर्देश के मद संरव्या 1.5 के अनुसार संरक्षित करेंगा।
6. तदोपरान्त गेटमैन गेट का दूसरी तरफ संरक्षित करेगा।
7. गेटमैन सड़क यातायात के विवरणों चालक का नाम सड़क वाहन के मालिक का नाम लिरवकर स्टेशन मास्टर/हल्दी रोड को सूचित करेगा तथा स्टेशन मास्टर/हल्दी रोड तब तक गाड़ी को नही चलायेगा जब तक गेटमैन सुनिश्चित नहीं कर देता है कि सड़क यातायात या लिफ्टिगं बैरियर रेल पथ को बाधित नही कर रहे है।
8. कार्यरत स्टेशन मास्टर/हल्दी रोड कार्यरत स्टेशन मास्टर/रूद्रपुर सिटी को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि वह अपने तरफ से कोई गाड़ी न भेजे जब तक रेल पथ से बाधा हटा न दिया जाय।
9. रेल पथ से बाधा हटा दिये जाने के बाद गेटमैन प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए कार्यरत स्टेशन मास्टर/हल्दी रोड को सूचित करेगा।
10. तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/हल्दी रोड सभी ट्रेन के चालको को सर्तकता आदेश जारी करेगा कि गेट सिगनल को 'ऑन' की स्थिति में गेटमैन द्वारा हरा संकेत देने पर सावधानी पूर्वक पार करें। यदि गेट टूटा हो परन्तु गेट पर कोई व्यवधान न हो।
11. गेटमैन समपार फाटक को संरक्षा चेन एवं तालों द्वारा सड़क यातायात के लिसे संरक्षित करेगा तथा उसके बाद यदि समपार फाटक पर कोई व्यवधान नहीं है तो गेटमैन दिन के समय हत्थेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती गुजरती हुयी गाडियो को दिरवायेगा।
12. कार्यरत स्टेशन मास्टर जिम्मेदार एस. एण्ड टी. स्टाफ को रवराब यन्त्र के शीध्र मरम्मत के लिए लिखित सूचना देगा।

(एस0 एस0 द्विवेदी)	(अजय कुमार)	(जे0 पी0 शर्मा)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक	वरिष्ठ मण्डल इन्जीनियर I	मण्डल सिग.एवं दूरसंचार इंजीनियर
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर	पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर	पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर
दिनॉक	दिनॉक	दिनॉक

13. सामान्य स्थिति केवल एस. एण्ड टी. स्टाफ के मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो देने के बाद ही होगी।

2.9 समपार फाटक के समीप रेल पथ पर अवरोध :–

यदि किसी रेल का टूटना, रेल पथ पर पेड़ गिरने से कोई अवरोध, सड़क वाहन द्वारा बाधा अथवा कोई अवपथन जो गेटमैन को दिरवाई देता हो तो गेट मैन तथा कार्यरत स्टेशन मास्टर/हल्दी रोड मद सं. 2.8 में वर्णित निर्देश के अनुसार कार्यवाही करेगें यदि कोई अवरोध समपार फाटक को बाधित करता हैं तो गेटमैन सड़क यातायात के लिये सड़क को उस समय तक बन्द रखेगा जब तक रेल पथ से बाधा हटा नही दिया जाय।

(एस0 एस0 द्विवेदी)	(अजय कुमार)	(जे0 पी0 शर्मा)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक	वरिष्ठ मण्डल इन्जीनियर I	मण्डल सिग.एवं दूरसंचार इंजीनियर
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर	पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर	पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर
दिनॉक	दिनॉक	दिनॉक